पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–21] रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 मई, 2020 ई0 (बैशाख 19, 1942 शक सम्वत्) [संख्या–14

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	193–215	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	219–221	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5

अधिसूचना

प्रकीर्ण

06 अप्रैल, 2020 ई0

संख्या 231/XXVIII(1)/20–22(सामान्य)/2015—राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) के नर्सिंग सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) नर्सिंग संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2020

भाग–1–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली, उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) नर्सिंग संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2020 कहलायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) (अराजपत्रित) नर्सिंग संवर्ग सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट है।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में –
(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है।
(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो 'भारत का संविधान' के भाग–2 के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है।
(ग) "बोर्ड' से" उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड' अभिप्रेत है।
(घ) "संविधान" से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है।
(ङ) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है।
(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है।
(छ) "सेवा का सदस्य" से इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त इस नियमावली या आदेशों के अधीन स्थायी रूप से/मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।
(ज) "सेवा" का तात्पर्य उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) अराजपत्रित नर्सिंग सेवा से है।
(झ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो तथा
(ञ) "भर्ती का वर्ष" से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग 2–संवर्ग

सेवा संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।
(2) सेवा की सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी जितनी परिशिष्ट–क में दी गयी है, परन्तु उपबन्ध यह है कि –
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
(दो) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं जैसा वे उचित समझें।

भाग 3–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी–

श्रेणी 'ग'

(क) सिस्टर नर्सिंग : मौलिक रुप से नियुक्त ऐसी स्थायी स्टाफ नर्स में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपायुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा।

(ख) स्टाफ नर्स : शत–प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा कुल पदों का 80 प्रतिशत महिला उपचारिका और 20 प्रतिशत पुरूष उपचारक होंगे। चयन वर्ष में महिला/पुरूष उपचारिकाओं/उपचारकों के कुल उपलब्ध रिक्त पदों में से 70 प्रतिशत पद जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी में डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों तथा 30 प्रतिशत पद नर्सिंग में डिग्री धारक अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4–अर्हता

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी –

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए ; या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो।

परन्तु, उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी: जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हता

8. सेवा में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास निम्न अर्हताएँ होनी आवश्यक है:–

पद		अर्हता
स्टाफ नर्स –	(क)	माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड से इण्टरमिडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी में डिप्लोमा अथवा बी0एस0सी0 (नर्सिंग) परीक्षा उत्तीर्ण की गयी हो।
	(ख)	अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड नर्स तथा धात्री परिषद् में रजिस्ट्रीकरण के योग्य जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी का डिप्लोमा अथवा बी0एस0सी0 नर्सिंग की डिग्री हो। बी0एस0सी0 नर्सिंग के डिग्रीधारकों के पास राज्य

सरकार के चिकित्सा संकाय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम 01 वर्ष का नर्सिंग कार्य का अनुभव होना आवश्यक है।

(ग) नर्सिंग काउन्सिल, उत्तराखण्ड में रजिस्ट्रीकृत हो।

अनिवार्य/वांछनीय अर्हता

9. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथासंशोधित) में निहित शर्तों/उपबन्धों के अनुसार होगी।

अधिमानी अर्हता

10. (क) अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने--

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो ; या

(2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

11. जिस कलैण्डर वर्ष में रिक्तियाँ आयोग या किसी अन्य भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जाय या यथास्थिति, ऐसी रिक्तियाँ सेवायोजन कार्यालय को सूचित की जायें, उस वर्ष की 01 जुलाई को शासन द्वारा समय-समय पर यथा विहित न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए।

परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

12. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी : संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार से स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

13. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हो अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसका एक से अधिक पति जीवित हो ;

परन्तु, यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक स्वस्थता

14. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अनुमोदित करने से पूर्व, उससे--

(क) सेवा में अन्य पदों के मामले में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड II भाग III के अध्याय III में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है :

परन्तु यह कि:-

1) दिव्यांगत अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्या-49)की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत संदर्भित में दिव्यांग जनों को नियमानुसार नियुक्ति दिये जाने से मना नहीं किया जायेगा।

2) पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

भाग 5--भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

15. नियुक्ति प्राधिकारी/चयन बोर्ड वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की नियम-6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और सेवायोजन कार्यालय/चयन बोर्ड को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

16. सेवा में सीधी भर्ती पदों पर भर्ती उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती प्रकिया नियमावली, 2008 (समय-समय पर यथासंशोधित) में निहित उपबन्धों के अधीन उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से की जायेगी।

पदोन्नति के लिए भर्ती प्रक्रिया

17. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित उपबन्धों के अधीन गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियाँ कार्मिक विभाग के उत्तराखण्ड चयनोन्ति पात्रता सूची नियमावली 2003 के अनुसार तैयार करेगा और उन्हें उनकी चरित्र पंजिकाओं तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाये, विभागीय चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) विभागीय चयन समिति द्वारा उप नियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार किया जायेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो उसके द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जा सकता है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

भाग 6–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. (1) उपनियम (2) के अध्यधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 16, 17 अथवा 18 यथास्थिति, के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी वर्ष भर्ती नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी तब तक कि दोनों स्रोतो से चयन न किया गया हो और नियम–18 के अनुसार संयुक्त सूचियां तैयार न की गयी हों।

(3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती हैं तो नाम नियम–18 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में नियुक्ति कर सकता है। यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी पहले हो, नहीं की जायेगी और जहाँ पद आयोग के क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो, वहाँ उत्तराखण्ड, लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003 के विनियम 5 (क) के प्राविधान लागू होंगे।

परिवीक्षा

19. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरुद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा;

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे :

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिविक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि के किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण 20. (1) उपनियम–(2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा; यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषप्रद बताया जाय;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय;

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

(2) यदि "उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002" के अन्तर्गत स्थायीकरण आवश्यक न हो तो उक्त नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन जारी किया यह आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक समाप्त कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता 21. किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार किया जायेगा।

भाग 7–वेतन आदि

वेतनमान 22. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय सेवा के विभिन्न पदों के वेतनमान वह होंगे जिनका उल्लेख परिशिष्ठ (क) में दिया गया है ।

परिवीक्षा अवधि में वेतन 23. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्रावधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहाँ विहित हो, समयमान में प्रथम वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी :

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थाई सरकारी सेवा में है, सरकार के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

पक्ष समर्थन

24. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किसी सिफारिश पर चाहें लिखित हो या मौखिक पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

25. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

भाग 8—अन्य उपबन्ध

सेवा की शर्तों में शिथिलीकरण

26. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे।

व्यावृत्ति

27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट–क

पदनाम, वेतनमान एवं पदों की संख्या

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	सिस्टर नर्सिंग	₹ 47,600–1,51,100 (लेवल–8)	160
2.	स्टॉफ नर्स	₹ 44,900–1,42,400 (लेवल–7)	1091

अधिसूचना

प्रकीर्ण

06 अप्रैल, 2020 ई0

संख्या 232/XXVIII(5)/2020–06(सामान्य)/2019–राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग की फिजियोथेरेपी, ऑक्युपेशनल थेरेपी संवर्ग सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग फिजियोथेरेपी, ऑक्युपेशनल थेरेपी संवर्ग सेवा नियमावली, 2020

भाग–एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग फिजियोथेरेपी, ऑक्युपेशनल थेरेपी संवर्ग सेवा नियमावली, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग फिजियोथेरेपी, ऑक्युपेशनल थेरेपी संवर्ग एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्टि है।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो "भारत का संविधान" के भाग–II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाय;

(ग) 'बोर्ड' से 'उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, अभिप्रेत है;

(घ) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;

(ङ) 'निदेशक' से 'निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(च) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(छ) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ज) 'सेवा का सदस्य' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) 'सेवा' से उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग फिजियोथेरेपी, ऑक्युपेशनल थेरेपी संवर्ग सेवा अभिप्रेत है;

(ञ) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

(ट) 'भर्ती का वर्ष' से किसी कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

भाग दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाये।

(2) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी, जितनी **परिशिष्ट–क** में दी गयी है : परन्तु यह कि

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं जैसा वे उचित समझें।

भाग तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

पद		भर्ती का स्रोत
फिजियोथेरेपिस्ट/आक्युपेशनल थेरेपिस्ट	–	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार–अर्हता

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा :

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी: जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हता

8. सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिए :–

पद		भर्ती का स्रोत
फिजियोथेरेपिस्ट	–	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान विषय के साथ

इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।

2. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में रजिस्ट्रीकरण के योग्य किसी संस्थान से फिजियोथेरपी में डिग्री (BPT) की उपाधि हो।
3. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र हो।
4. सम्बन्धित अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।

आक्युपेशनल थेरेपिस्ट — 1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान विषय के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में रजिस्ट्रीकरण के योग्य किसी संस्थान से ऑक्युफिजियोथेरपी में डिग्री (BOT) की उपाधि हो।
3. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र हो।
4. सम्बन्धित अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।

टिप्पणी:– इस नियमावली के प्रख्यापित होने से पूर्व उत्तराखण्ड के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेजों में यदि कोई कर्मचारी नियमित रूप से कार्यरत हो तो उसके लिए वह शैक्षिक अर्हता मान्य होगी, जो उसकी नियुक्ति के समय निर्धारित थी या विज्ञापित की गयी थी। अन्य सभी सेवा लाभ नियमावली के अनुसार देय होंगे।

अनिवार्य/वांछनीय अर्हता

9. अभ्यर्थी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' की सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 एवं समय–समय पर यथासंशोधित नियमावलियों में निहित प्राविधान/शर्तों/उपबन्धों के अनुसार अर्हता धारण करता हो।

अधिमानी अर्हता

10. अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने–
(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या
(2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा "सी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

11. अभ्यर्थी को, जिस कलैण्डर वर्ष में रिक्तियों आयोग या किसी अन्य भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञाप्ति की जाय या यथास्थिति, ऐसी रिक्तियां सेवायोजन कार्यालय को सूचित की जायें, उस वर्ष की 01 जुलाई को समय–समय पर यथा विहित न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए :

परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, उच्चतर आयु उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

12. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी : संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

13. सेवा में किसी पद पर ऐसा पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हो, तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी , जिसका एक से अधिक जीवित पति हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे :

परन्तु, राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के पर्वतन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता

14. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अनुमोदित करने से पूर्व, उससे–

(क) वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड II भाग III के अध्याय III में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है :

परन्तु यह कि निःशक्तजनों हेतु भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 के कम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणी में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति दिये जाने से मना नहीं किया जायेगा।

भाग पांच–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

15. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ–साथ नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और सेवा योजन कार्यालय/चयन बोर्ड को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

16. सेवा में सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती प्रकिया नियमावली, 2008 एवं इस सम्बन्ध में समय–समय पर यथासंशोधित नियमावलियों के उपबन्धों के अनुसार उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से की जायेगी।

टिप्पणी :– प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और नियम आयोग द्वारा समय–समय पर विहित प्रक्रिया के अनुसार किये जायेंगे।

भाग छः–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति

17. (1) उपनियम (2) के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें वे नियम–15 तथा 16 के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में नियुक्ति कर सकता है। यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो

तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी पहले हो, नहीं की जायेगी और जहाँ पद आयोग के क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो, वहाँ उत्तराखण्ड, लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 के विनियम 5 (क) के प्रावधान लागू होंगे।

परिवीक्षा

18. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को 01 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसमे ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ायी जाय:

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसर का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा हो, तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के सम्बन्ध में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न या स्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकेगा।

स्थायीकरण

19. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी कर लिया जायेगा, यदि –

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित कर दी गयी हो; और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

ज्येष्ठता

20. (1) सेवा में किसी श्रेणी के पद पर किसी कर्मचारी की ज्येष्ठता का निर्धारण "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002" के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये गये हो :

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट की जाती है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश की दिनांक मानी जायेगी तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने की दिनांक माना जायेगा ।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो, यथास्थिति आयोग/चयन समिति द्वारा अवधारित की जाये:

परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

भाग–सात–वेतनमान

वेतनमान

21. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त कार्मिक को अनुमन्य वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ में प्रचलित वेतनमान परिशिष्ट–क में दिए गए है।

परिवीक्षा के दौरान वेतन

22. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्रावधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन कर्मचारी को, यदि वह पहले से स्थाई सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर प्रथम वेतन वृद्धि प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् और परिवीक्षा अवधि पूर्ण किए जाने तथा स्थाई किए जाने पर दी जायेगी;

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गई अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे कार्मिक का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा;

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ऐसी बढ़ाई गई अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे कार्मिक का वेतन, जो पहले से ही स्थाई सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग–आठ–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

23. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहें लिखित हो या मौखिक, पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

24. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों/विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण

25. जहाँ राज्य सरकार को यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम के अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रखते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

26. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट–क

पदनाम, वेतनमान एवं पदों की संख्या

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	राजकीय मेडिकल कॉलेज				कुल योग
			श्रीनगर	हल्द्वानी	देहरादून	अल्मोड़ा	
1.	फिजियोथेरेपिस्ट	₹ 35,400–1,12,400 (लेवल–6)	2	2	2	2	8
2.	ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट	₹ 35,400–11,24,200 (लेवल–6)	2	2	2	2	8

अधिसूचना

प्रकीर्ण

13 अप्रैल, 2020 ई0

संख्या 326/XXVIII(5)/2020–08(सामान्य)/2019–राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग तथा इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग की टैक्नीशियन संवर्ग सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग टैक्नीशियन (लैब, ओ0टी0/सी0एस0एस0डी0, डेण्टल आदि) संवर्ग सेवा नियमावली, 2020

भाग–एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग टैक्नीशियन (लैब, ओ0टी0/सी0एस0एस0डी0, डेण्टल आदि) संवर्ग सेवा नियमावली, 2020 होगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग टैक्नीशियन (लैब, ओ0टी0/सी0एस0एस0डी0, डेण्टल आदि) संवर्ग एक अराजपत्रित सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट है।

परिभाषाएँ

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है।

(ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो 'भारत का संविधान' के भाग–II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाय।

(ग) 'बोर्ड' से 'उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड' अभिप्रेत है।

(घ) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है।

(ङ) 'निदेशक' से 'निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है।

(च) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है।

(छ) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है।

(ज) 'सेवा का सदस्य' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

(झ) 'सेवा' से उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग के निम्न टैक्नीशियन अभिप्रेत है:–

1. लैब टैक्नीशियन, (एनॉटामी, फिजियोलॉजी, बॉयोकैमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, फारेंसिक मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबॉयलॉजी, पीडियाट्रिक्स, जनरल मेडिसिन, ब्लड बैंक)।
2. ओ0टी0/सी0एस0एस0डी0 टैक्नीशियन (जनरल सर्जरी, आर्थोपेडिक्स, ई0एन0टी0, ऑप्थलमोलॉजी, ऑब्स एण्ड गायनी, एनिस्थिसियोलॉजी, सी0एस0एस0डी0)।
3. डेण्टल टैक्नीशियन (डेण्टल विभाग)।
4. ई0सी0जी0 टैक्नीशियन (मेडिसिन विभाग)।
5. रिफ्रेक्शनिस्ट टैक्नीशियन (ऑप्थलमोलॉजी विभाग)।
6. रेडियोग्राफिक्स टैक्नीशियन (रेडियोडायग्नोसिस विभाग)।

7. रेडियोथेरेपी टैक्नीशियन (रेडियोथेरेपी विभाग)।
8. ऑडियोमेट्री टैक्नीशियन (ई0एन0टी0 विभाग)।
9. कैंसर जेनेटिक्स (रिसर्च),न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडिएशन ऑनकोलॉजी, मेजर ओ0टी0, रेडियोडायग्नोसिस, एनेस्थिसियोलॉजी (स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट)।
10. न्यूरो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, कॉर्डियोलॉजी, यूरोलॉजी व प्लास्टिक सर्जरी (सुपर स्पेशियलिटी विभाग)

(ञ) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो।

(श्र) 'भर्ती का वर्ष' से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग 2—संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(2) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी, जितनी परिशिष्ट–क में दी गयी है : परन्तु यह कि –

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं जैसा वे उचित समझें।

भाग 3—भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नानुसार की जायेगी :–

पद	भर्ती का स्रोत
टैक्नीशियन (लैब, ओ0टी0/ सी0एस0एस0डी0, डेण्टल, रिफ्रेक्शनिस्ट, ई0सी0जी0, रेडियोग्राफिक्स, रेडियोथेरेपी ,ऑडियोमेट्री, कैंसर जेनेटिक्स (रिसर्च), न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडिएशन ऑनकोलॉजी, मेजर ओ0टी0, रेडियोडायग्नोसिस, एनेस्थिसियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, कॉर्डियोलॉजी, यूरोलॉजी व प्लास्टिक सर्जरी)	– शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4—अर्हता

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो।

परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो। परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी उप पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह और कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी: जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हता	8.	पद	शैक्षणिक अर्हता
		लैब टैक्नीशियन	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से लैब टैक्नोलॉजी में डिग्री /डिप्लोमा की उपाधि हो। 3. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। 4. अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।
		ओ0टी0 / सी0एस0एस0डी0 टैक्नीशियन	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से ओ0टी0/सी0एस0एस0डी0 में डिग्री/ डिप्लोमा की उपाधि हो। 3. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। 4. अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।
		डेण्टल टैक्नीशियन	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान से इण्टरमिडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से डेण्टल टैक्नोलॉजी में डिग्री/ डिप्लोमा की उपाधि हो। 3. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। 4. अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त

	चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।
रिफ्रेक्शनिस्ट टैक्नीशियन	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान से इण्टरमिडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से रिफ्रेक्शनिस्ट /ऑप्टोमेट्री में डिग्री/डिप्लोमा की उपाधि हो। 3. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। 4. अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।
ई0सी0जी0 टैक्नीशियन	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान से इण्टरमिडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से ई0सी0जी टैक्नीशियन में डिग्री/डिप्लोमा की उपाधि हो। 3. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। 4. अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।
रेडियोग्राफिक्स टैक्नीशियन	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से रेडियोग्राफिक्स में डिग्री/ डिप्लोमा की उपाधि हो। 3. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। 4. अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।
रेडियोथेरेपी टैक्नीशियन	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से रेडियोथेरेपी में डिग्री/ डिप्लोमा की उपाधि हो। 3. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो।

	4. अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।
ऑडियोमेट्री टैक्नीशियन	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से ऑडियोमेट्री में डिग्री/ डिप्लोमा की उपाधि हो। 3. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। 4. अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।
कैंसर जेनेटिक्स (रिसर्च) टैक्नीशियन	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से लैब टैक्नोलॉजी में डिग्री /डिप्लोमा की उपाधि हो। 3. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। 4. अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।
न्यूक्लियर मेडिसन रेडिएशन ऑनकोलॉजी टैक्नीशियन	परमाणु नियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित। 1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से रेडियोथेरेपी में डिग्री/ डिप्लोमा की उपाधि हो। 3. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। 4. अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।
मेजर ओ0टी0 टैक्नीशियन	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से ओ0टी0/सी0एस0एस0डी0 में डिग्री/ डिप्लोमा की उपाधि हो। 3. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी

		अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। 4. अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।
	रेडियोडायग्नोसिस टैक्नीशियन	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से रेडियोग्राफिक्स में डिग्री/ डिप्लोमा की उपाधि हो। 3. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। 4. अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।
	एनेस्थिसियोलॉजी टैक्नीशियन	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से ओ0टी0/सी0एस0एस0डी0 में डिग्री/ डिप्लोमा की उपाधि हो। 3. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। 4. अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।
	न्यूरो सर्जरी/नेफ्रोलॉजी/ कॉर्डियोलॉजी/यूरोलॉजी/ प्लास्टिक सर्जरी टैक्नीशियन	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से ओ0टी0/सी0एस0एस0डी0 में डिग्री/ डिप्लोमा की उपाधि हो। 3. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। 4. अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।

अनिवार्य / वांछनीय अर्हता

9. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 समय–समय पर यथासंशोधित के प्राविधानों के अनुसार होगी।

अधिमानी अर्हता

10. अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या
(2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

11. जिस कलैण्डर वर्ष में रिक्तियॉ आयोग या किसी अन्य भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जाय या यथास्थिति, ऐसी रिक्तियॉ सेवायोजन कार्यालय को सूचित की जायें, उस वर्ष की 01 जुलाई को समय–समय पर यथा विहित न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए।

परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

12. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी : संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार से स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

13. सेवा में किसी पद पर ऐसा पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियॉ हो, अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसका एक से अधिक जीवित पति हो, नियुक्ति के लिये पात्र ना होंगे।

परन्तु, सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के पर्यतन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता

14. (1) किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद की परीक्षा में सफल हो गया है।

(2) सेवा में अन्य पदों के मामले में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड II, भाग III के अध्याय III में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

परन्तु यह कि दिव्यांगता अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या–49 वर्ष 2016 भारत सरकार) की धारा–33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा–34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा।

भाग 5–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

15. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ–साथ नियम–6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर व अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और सेवा योजन कार्यालय/चयन बोर्ड को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

16. सेवा में सीधी भर्ती पदों पर भर्ती उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती प्रकिया नियमावली–2008 के एवं इस सम्बन्ध में समय–समय पर यथासंशोधित नियमावलियों के उपबन्धों के अनुसार नियम–6 में दी गयी निर्धारित शैक्षिक योग्यता के आधार पर उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से की जायेगी।

प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और नियम आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किये जायेंगे।

भाग 6–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति

17. (1) उपनियम (2) के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें वे नियम–15, 16 के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, किया जायेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में नियुक्ति कर सकता है। यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी पहले हो, नहीं की जायेगी और जहाँ पद आयोग के क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो, वहाँ उत्तराखण्ड, लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 के विनियम 5 (क) के प्राविधान लागू होंगे।

परिवीक्षा

18. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा;

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे :

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतित होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिविक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण

19. (1) उपनियम–(2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा; यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषप्रद बताया जाय;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय;

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

(2) यदि "उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002" के अन्तर्गत स्थायीकरण आवश्यक न हो तो उक्त नियमावली के नियम 5 के उपनियम

(3) के अधीन जारी किया यह आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक समाप्त कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

20. (1) सेवा में किसी श्रेणी के पद पर किसी कर्मचारी की ज्येष्ठता का निर्धारण "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002" (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार किया जायेगा।

भाग–7–वेतन

वेतनमान

21. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त कार्मिक का अनुमन्य वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय सेवा के विभिन्न पदों के प्रचलित वेतनमान परिशिष्ट–क में दिए गए है।

परिवीक्षा के दौरान वेतन

22. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन कर्मचारी को, यदि वह पहले से स्थाई सरकारी सेवा में नहीं है, तो उस एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर प्रथम वेतन वृद्धि प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि 02 वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किए जाने तथा स्थायी किए जाने पर दी जायेगी।

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गई अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे कार्मिक का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा:

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ऐसी बढ़ाई गई अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे कार्मिक का वेतन, जो पहले से ही स्थाई सरकारी सेवा में हैं, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग–8–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

23. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही सिफारिशों पर, चाहें लिखित हो या मौखिक, पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास का प्रमाण उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

24. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों/विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण

25. जहाँ राज्य सरकार को यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम के अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रखते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रिक्ति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

26. इस नियमावली की किसी बात का कोई ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट–क

पद, पदों की संख्या एवं वेतनमान

क्र0 सं0	पदनाम	राजकीय मेडिकल कॉलेज				वेतनमान	कुल योग
		श्रीनगर	हल्द्वानी	देहरादून	अल्मोड़ा		
1.	लैब टैक्नीशियन, ओ0टी0 टैक्नीशियन	38	52	47	47	₹ 29,200–92,300 (लेवल–5)	184
2.	सी0एस0एस0डी0 टैक्नीशियन	11	16	16	16	₹ 25,500–81,100 (लेवल–4)	59
3.	डेण्टल टैक्नीशियन	02	04	04	04	₹ 29,200–92,300 (लेवल–5)	14
4.	रिफ्रेक्शनिस्ट	01	01	01	01	₹ 29,200–92,300 (लेवल–5)	04
5.	ई0सी0जी0 टैक्नीशियन	01	01	01	01	₹ 29,200–92,300 (लेवल–5)	04
6.	रेडियोग्राफिक्स, एक्स–रे टैक्नीशियन	04	08+02	08	08	₹ 29,200–92,300 (लेवल–5)	30
7.	रेडियोथेरेपी टैक्नीशियन	02	04	02	02	₹ 44,900–1,42,400 (लेवल–7)	10
8.	ऑडियोमेट्री टैक्नीशियन	01	01	01	01	₹ 29,200–92,300 (लेवल–5)	04
कुल योग							309

स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हेतु टैक्नीशियन के पद

क्र0 सं0	पदनाम	राजकीय मेडिकल कॉलेज	वेतनमान	कुल योग
		हल्द्वानी		
1.	कैंसर जेनिटिक्स (रिसर्च) टैक्नीशियन	01	₹ 29,200–92,300 (लेवल–5)	01
2.	न्यूक्लियर मेडिसिन टैक्नीशियन	04	₹ 29,200–92,300 (लेवल–5)	04
3.	रेडियेशन आंकोलॉजी टैक्नीशियन	12	₹ 29,200–92,300 (लेवल–5)	12
4.	सर्जिकल आंकोलॉजी (मेजर ओ0टी0) टैक्नीशियन	04	₹ 29,200–92,300 (लेवल–5)	04
5.	रेडियोडायग्नोसिस टैक्नीशियन	06	₹ 29,200–92,300 (लेवल–5)	06
6.	एनेस्थिसियोलॉजी + आई0सी0यू0	06	₹ 29,200–92,300 (लेवल–5)	06
कुल योग				33

सुपर स्पेशियलिटी विभागों हेतु टैक्नीशियन के पद

क्र0 सं0	विभाग	राजकीय मेडिकल कॉलेज	वेतनमान	कुल योग
		हल्द्वानी लैब/ओ0टी0/सी0एस0एस0डी0 टैक्नीशियन		
1.	न्यूरो सर्जरी	01	₹ 29,200–92,300 (लेवल–5)	01
2.	नैफ्रोलॉजी	01	₹ 29,200–92,300 (लेवल–5)	01
3.	कार्डियोलॉजी	01	₹ 29,200–92,300 (लेवल–5)	01
4.	यूरोलॉजी	01	₹ 29,200–92,300 (लेवल–5)	01
5.	प्लास्टिक सर्जरी	01	₹ 29,200–92,300 (लेवल–5)	01
कुल योग				05

आज्ञा से,
नितेश कुमार झा,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 14 हिन्दी गजट/130–भाग 1–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 मई, 2020 ई0 (बैशाख 19, 1942 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

March 16, 2020

No. 71/UHC/57/Admin.A/2003–Sri Ajay Chaudhary, Judge, Family Court, Vikasnagar, District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 17 days *w.e.f.* 10.02.2020 to 26.02.2020 with permission to prefix 09.02.2020 as Sunday.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

16th March, 2020

No. 72/UHC/Admin.B/2020–Since, COVID-19 (Novel Corona Virus) has been declared as an epidemic in the State of Uttarakhand and The Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 have been issued, therefore, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to issue the following directions which shall be applicable till 31st March, 2020:

1. Court shall take up urgent matters apart from final hearing cases.
2. No case will be dismissed in the absence of Counsel.

3. No Litigant shall be permitted to enter the High Court Premises, unless his/her presence is required by the Court.

4. Advocates are requested to avoid usages of the Association Hall and the Canteen to prevent overcrowding.

Sd/-

HIRA SINGH BONAL,

Registrar General.

NOTIFICATION

March 20, 2020

No. 75/XIV-a/1/Admin.A/2009–Sri Rakesh Kumar Singh, 2nd Additional District & Sessions Judge, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 13 days *w.e.f.* 24.02.2020 to 07.03.2020 with permission to prefix 23.02.2020 as Sunday holiday and suffix 08.03.2020 to 10.03.2020 as Sunday & Holi holidays respectively.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

March 20, 2020

No. 76/XIV-a/22/Admin.A/2011–Ms. Rinky Sahni, 2nd Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun is hereby sanctioned child care leave for 20 days *w.e.f.*17.02.2020 to 07.03.2020 with permission to prefix 16.02.2020 as Sunday holiday and suffix 08.03.2020 to 10.03.2020 as Sunday and Holi holidays, in terms of Office Memorandum No. 11/XXVII(7)34/2011 dated 30.05.2011 issued by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

March 20, 2020

No. 77/XIV/a-45/Admin.A/2017–Sri Anil Kumar Kori, Civil Judge (Jr. Div.), Gangolihat, District Pithoragarh is hereby sanctioned earned leave for 11 days *w.e.f.* 10.02.2020 to 20.02.2020 with permission to prefix 08.02.2020 & 09.02.2020 as holidays and suffix 21.02.2020 as Mahashivratri holiday.

NOTIFICATION

March 20, 2020

No. 78/XIV/74/Admin.A/2003–Sri Bharat Bhushan Pandey, 2nd Additional District & Sessions Judge, Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 20 days *w.e.f.* 10.02.2020 to 29.02.2020 with permission to prefix 08.02.2020 & 09.02.2020 as holidays and suffix 01.03.2020 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 14 हिन्दी गजट/130–भाग 1–क–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।